लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 51/2016

श्रीमति कान्ता देवी पत्नी श्री भंवर लाल जाति पारीक निवासी रामनगर कॉलोनी, केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

.....*अपीलान्ट*

बनाम

1. श्री रामधन पुत्र श्री तेजा जाति जाट निवासी गुर्जरवाड़ा जयपुर रोड़ केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर।

.....*रेस्पोन्डेन्टस*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री खड़ग सिंह वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 20.06.2017

वर्तमान में अजमेर जिले में राजस्व अभियान "न्याय आपके द्वार 2017" का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत अपील पेश हुई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है पटवारी हल्का केकड़ी द्वारा तहसीलदार केकड़ी के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि श्री रामधन पुत्र श्री तेजा जाति जाट निवासी ग्राम केकड़ी जिला अजमेर ने ग्राम केकड़ी के सिवायचक खसरा नम्बर 748 कुल रकबा 71 बीघा में से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है, इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 327/1959 पंजीबद्व किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 21.03.1960 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दिया गया नोटिस निरस्त किया जाकर अप्रार्थी को विवादित भूमि की खातेदारी दी जाकर राजस्व रेकार्ड में उक्त रकबे का गैर सायल के नाम इन्द्राज करने के भी निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् अप्रार्थी श्री रामधन द्वारा दिनांक 01.01.1996 को तहसीलदार केकड़ी के समक्ष प्रार्थना प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 21.03.1960 की पालना में विवादित भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का निवेदन किया। तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रार्थना पत्र पर बाद जांच नामान्तरकरण संख्या 434 दिनांक 29.02.1996 इस आधार पर निरस्त कर दिया कि "आदेश दिनांक 21.03.1960 (फोटो प्रति अप्रमाणित) संदिग्ध प्रतीत होती है, राजस्व रेकार्ड के

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner

अनुसार कब्जा भी तस्दीक नहीं होता है।" उक्त आदेश के विरूद्व अप्रार्थी श्री रामधन द्वारा उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष अपील संख्या 35/1996 प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.11.1996 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार केकड़ी को रिमाण्ड कर दी। इसके पश्चात् तहसीलदार केकड़ी द्वारा अपील संख्या 35/1946 पंजीबद्व कर बाद सुनवाई के दिनांक 06.09.2010 को आदेश पारित किया। उक्त आदेश अनुसार राजस्व प्रकरण संख्या 327/1959 निर्णय दिनांक 21.03.1960 की पालना में विवादित भूमि अप्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद बाबत् नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का के नाम हेतु आदेश जारी किये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 06.09.2010 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया तथा रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किया गया। रेस्पोन्डेन्टस जरिये वकील उपस्थित हुए। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी व लिखित बहस पेश की जिन्हें शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई।

बहस प्रारंभ होने से पूर्व वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि अपीलान्ट पीड़ित पक्षकार नहीं है तथा अपील बाद मियाद पेश की गई है। अतः अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं होने के साथ ही अपील मियाद बाहर होने से ही निरस्त योग्य है। वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत कथनों का विरोध करते हुए वकील अपीलान्ट ने न्यायालय का ध्यान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. व धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर उनका पिछले 30 वर्षों से निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा विवादित भूमि से लगती हुई उनकी खातेदारी कृषि भूमि है, इसके साथ ही विवादित खसरा नम्बर में से 0.81 हैक्टर भूमि श्री दिगम्बर जैन उच्च प्राथमिक विद्यालय के नाम अंकित है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का विवादित भूमि से कोई सरोकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की जांच किए बिना तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना आक्षेपीय आदेश पारित किया है जबकि अपीलान्ट उक्त आदेश से पीड़ित एवं प्रभावी पक्षकार होने के कारण उन्हें अपील की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.आर.डी. 1993 पेज 44 व आर.आर.टी. 2003(1) पेज 47 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किया कि धारा 96 सीपीसी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति दी जावे। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे विवादित भूमि पर पिछले 30 वर्षों से उनका कब्जा होना स्पष्ट होता हो। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार भी नहीं थे। विवादित भूमि रेकार्ड में सिवायचक दर्ज थी, यदि अपील पेश करने का प्रथम अधिकार था, तो सरकार का था। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्व अपील पेश करने का कोई Locus Standi नहीं है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.आर.डी. 1978 पेज 633, आर.आर.डी. 1981 पेज 143 व आर.आर.डी. 1976 पेज 178 पर प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित

Scanned by CamScanner

निषेधाज्ञा न्यायालय द्वारा जारी है। सिविल न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते माननीय न्यायालय द्वारा अपील में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.आर.टी. 2010(2) पेज 1409 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायाल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि सिविल न्यायालय में विचाराधीन दावा डिक्री अपीलान्ट के पक्ष में हो जाने पर उन्हें स्वतः ही विवादित भूमि की खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का केकड़ी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत इस आशय की प्रस्तुत की गई थी कि श्री रामधन पुत्र श्री तेजा जाति जाट निवासी केकड़ी ने ग्राम केकड़ी स्थित सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 748 में से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर काश्त की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 327/1959 पंजीकृत कर बाद सुनवाई के दिनांक 21.03.1960 को आदेश पारित किया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी को दिया गया नोटिस निरस्त कर विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। उक्त आदेश की परिसीमा अवधि में कोई पालना नहीं की गई तत्पश्चात् लगभग 36 वर्ष पश्चात् श्री रामधन पुत्र श्री तेजा जाति जाट द्वारा दिनांक 01.09.1996 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मूल पत्रावली के विधि विरूद्व रूप से कार्यवाही प्रारंभ कर दी, जबकि परिसीमा अधिनियम 1963, अनुच्छेद 136 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 2 नियम .2 डिक्री अथवा किसी भी आदेश निष्पादन के मामले में परिसीमा अवधि प्रभावी हो जाती है तथा उस तिथि से चलना आरंभ कर देती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 12 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् निष्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ की जो विधि विरूद्व एवं अपने क्षेत्राधिकार से बाहर है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर.एल.डब्ल्यू. 2001(3) एस.सी. पेज 376 रतन सिंह बनाम विजयसिंह व अन्य में इसी अनुरूप न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2010 निरस्त किया जाता है, इसके साथ ही आक्षेपीय आदेश के पश्चात्वर्ती समस्त कार्यवाही शून्य घोषित कर केकड़ी के साबिक आराजी खसरा नम्बर 748/1/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 5027 रकबा 0.28 सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 20.06.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner